किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति जनपद–प्रतापगढ़ की बैठक दिनांक 04.07.2017 की कार्यवृत्त :–

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–540बी/क0नि0–6/2017–1(बी)/2017 दिनांक 24.06.2017 के अनुपालन में जनपद के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.07.2017 के अपरान्ह 04:00 बजे से विकास भवन सभागार में आयोजित की गई बैठक में बैठक में जिला स्तरीय समिति के सदस्यगण उप कृषि निदेशक, एस0डी0एम0, सदर, पट्टी, लालगंज एवं रानीगंज, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक आयुक्त/सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, जिला सूचना अधिकारी, उप महा प्रबन्धक सहकारी बैंक, डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0, ई–डी0एम0 एन0आई0सी0, प्रतिनिधि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं सभी बैंकों के समन्वयक ने प्रतिभाग किया।

उप कृषि निदेशक :–

उप कृषि निदेशक, श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई और योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित हित कारको की भूमिका एवं दायित्व को स्पष्ट किया गया है।

डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 :–

- श्री राजकुमार गुप्ता डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी देते समस्त अधिकारियों/बैंक शाखाओं के समन्वयक को प्रशिक्षण दिया गया।
- डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया कि ऋण मोचन योजना के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु शासनादेश www.pratapgarh.nic.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
- ऋण मोचन योजना की टेस्टिंग हेतु वेबसाइट 10.135.0.96/loan waiver पर जाने हेतु यूजर आई0डी0–ALLA0-3008, पासवर्ड–Loan@1234 पर जाकर विस्तृत क्रियान्वयन की जानकारी ली जा सकती है।

मुख्य विकास अधिकारी :–

- मुख्य विकास अधिकारी/सचिव, ऋण मोचन योजना द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि एक व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाकर सभी सम्बन्धित सदस्यगण को जोड़ दे जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान ससमय किया जा सके।
- बैंक द्वारा किसी भी समस्या हेतु व्हाट्सएप्प ग्रुप पर जानकारी ली जा सकती है।
- सभी सम्बन्धित अधिकारी जब भी बैठक में आयें अपने फाइल के साथ–साथ सूचना एवं शासनादेश आदि की कॉपी साथ में अवश्य लावें जिससे कि कोई असुविधा उत्पन्न न हो।
- यह भी निर्देशित किया गया कि कृषकों की सूची प्राप्त होने पर तत्काल/यथाशीघ्र परिशिष्ट–2 पूर्ण कराएंगे।
- सम्बन्धित बैंकों के द्वारा डाटा भरने के बाद तीन प्रकार की सूची आयेगी।
- **प्रथम– जिसमें आधार कार्ड संख्या तथा भूलेख फीडेड, द्वितीय– बगैर आधार संख्या तथा भूलेख फीडेड, तृतीय– जिसमें भूलेख विवरण फीडेड नही होगा।**
- सूची निर्गत होने पर बैंको/विकासखण्डों, तहसीलों पर प्रचार–प्रसार हेतु चस्पा करायी जायेगी।
- जिन ऋणी कृषक बन्धुओं पर आधार कार्ड संख्या एवं मोबाईल नम्बर बैंकों के पास उपलब्ध नही है वे बैंक आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर कृषकों से लेकर एक्सेल पर सूची बना लें, डाटा प्राप्त होते ही यथाशीघ्र फीड करा देगें, जिससे समय की बचत होगी।
- बैंक अपने संसाधनों तथा अनौपचारिक संसाधनों एवं क्षेत्रीय स्टॉफ के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर ऋणी कृषको से आधार कार्ड संख्या एकत्र कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- सभी बैंक इस हेतु वर्क प्लान तैयार कर लें, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत न हो, साथ ही बैठक बुलाये जाने पर समय से प्रतिभाग अवश्य करें।
- सभी बैंको को निर्देशित किया गया कि सूची प्राप्त होते ही अधिक से अधिक कृषकों का आधार संख्या लिंक कर दी जाय जिससे की समय से कि समय से ऋणी कृषकों को लाभ मिल सके।

Scanned by CamScanner

अन्त में उप कृषि निदेशक, श्री अरविन्द कुमार सिंह, ने बताया कि इस कार्य को निर्वाचन कार्य की तरह किया जाय, जिससे कि समयान्तर्गत कार्य को क्रियान्वित किया जा सके। उप कृषि निदेशक, के इन्ही निर्देशों के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा मुख्य विकास अधिकारी, द्वारा की गई।

जिला कृषि अधिकारी/
सह सचिव, जिला स्तरीय समिति
प्रतापगढ़।

मुख्य विकास अधिकारी/
सचिव, जिला स्तरीय समिति
प्रतापगढ़

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।

पत्रांकः 270 /4-कृषि/फ0ऋ0मो0यो0/बैठक/कार्यवृत्त/2017-18/ दिनांकः 07/7/ 2017

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त फसल ऋण मोचन सदस्यगण जनपद प्रतापगढ़।
2. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
3. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी/
सचिव, जिला स्तरीय समिति
प्रतापगढ़।

Scanned by CamScanner